एक नजर में

गरबा पंडालों में सादे कपड़ों में पुलिसकर्मी, तीन को पकड़ा

इंदौर: नवरात्र में गरबा आयोजनों के दौरान महिलाओं और बालिकाओं की सुरक्षा के लिए पुलिस ने निगरानी बढ़ा दी है। गरबा पंडालों और संवेदनशील क्षेत्रों में ड्रोन कैमरों से नजर रखी जा रही है। सादे कपड़ों में पुलिसकर्मी तैनात कर बाइक पेट्रोलिंग और पैदल गश्त भी शुरू की है। विजय नगर पुलिस ने अभियान के दौरान तीन बदमाशों के खिलाफ प्रतिबंधात्मक कार्रवाई की है। भीड़भाड़ वाले क्षेत्रों और गरबा स्थलों पर ड्रोन की मदद से भीड़ की स्थिति तथा संदिग्ध गतिविधियों पर नजर रखी गई। -नप्र

गोंदवाले धाम टंकी से 15 दिन में शुरू होगा जलप्रदाय

नईदुनिया प्रतिनिधि, इंदौर : विधायक मालिनी गौड़ की नाराजगी के बाद नगर निगम ने गोंदवाले धाम पानी की टंकी से 15 दिन में जलप्रदाय शुरू करने का निर्णय लिया है। शुक्रवार को निगमायुक्त क्षितिज सिंघल ने टंकी के निर्माण कार्य का निरीक्षण किया। उन्होंने 15 दिन के भीतर टंकी से जलप्रदाय शुरू करने के निर्देश दिए। इसके बाद निगमायुक्त फल बाग पहुंचे और वहां 30 एमएलडी क्षमता के पंप की स्थापना के कार्य का जायजा लिया। उन्होंने देवी अहिल्या विश्वविद्यालय (डीएवीवी) की निर्माणाधीन पानी की टंकी के काम का भी निरीक्षण किया। -नप्र

लूट के आरोप में फरार बदमाश 12 साल बाद गिरफ्तार

इंदौर: कनाड़िया पुलिस एक बदमाश को गिरफ्तार किया है। आरोपित की लूट के मामले में 12 साल से तलाश थी। पुलिस के अनुसार साल 2014 में दो मामले दर्ज किए गए थे। मामले में आरोपित सरफराज उर्फ गोलू पुत्र सलीम खान निवासी राजीव नगर बड़ला फरार हो गया था। गुरुवार को पुलिस ने आरोपित को घर से पकड़ लिया। -नप्र

शिविर में श्रमिकों का किया गया पंजीयन

इंदौर: जन-विश्वास अभियान के अंतर्गत श्रम विभाग द्वारा सांवेर क्षेत्र के ग्राम भोरासला में अरविंदो हास्पिटल के सामने निर्माणाधीन आवासीय एवं वाणिज्यिक परियोजना स्थल पर कार्यरत श्रमिकों के लिए पंजीयन शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में श्रम आयुक्त शीतला पटले एवं उप श्रम आयुक्त मेघना भट्ट ने उपस्थित निर्माण श्रमिकों को श्रम विभाग द्वारा संचालित विभिन्न योजनाओं, उनके लाभ तथा पात्रता संबंधी प्रविधानों की जानकारी दी। इस दौरान श्रमिकों का एप पर पंजीयन करवाया गया। - नप्र

अंदर व बाहर क्षमता से अधिक भरे पार्सल, बस जब्त, वसूला 20 हजार रुपये जुर्माना

नईदुनिया प्रतिनिधि, इंदौर : यातायात पुलिस ने धार की ओर से इंदौर आ रही क्षमता से ज्यादा पार्सल लदी इंटरस्टेट बस पर शुक्रवार को कार्रवाई करते हुए उसे जब्त कर लिया और 20 हजार रुपये का जुर्माना लगाया। बस के अंदर और छत पर क्षमता से अधिक पार्सल भरे होने के कारण वह सड़क पर एक तरफ झुककर चल रही थी। इससे बस के पलटने और अन्य वाहन चालकों के लिए दुर्घटना का खतरा बना हुआ था।

नेशनल परमिट वाली बस क्रमांक एमपी44-जेडइ-7773 में सवारियां नहीं थीं, लेकिन बस के अंदर और छत पर बड़ी संख्या में पार्सल रखे हुए थे। क्षमता से ज्यादा पार्सल लदे होने के कारण बस का संतुलन बिगड़ रहा था। वह सड़क पर एक तरफ झुककर चल रही थी। इस स्थिति में सड़क दुर्घटना होने की आशंका बनी हुई थी। एसीपी अन्नपूर्णा शिवेंदु जोशी ने कार्रवाई करते हुए बस जब्त कर चंदननगर थाने भेजा। इसके बाद यातायात जोन-1 के निरीक्षक सैयद काज़िम हुसैन रिजवी ने चालानी कार्रवाई करते हुए बस पर 20 हजार रुपये का जुर्माना लगाया।



ओवरलोड बस पर यातायात पुलिस ने कार्रवाई की ● सौजन्य विभाग

बस में नहीं थी कोई सवारी

यातायात विभाग को सुबह नौ बजे सूचना मिली थी कि एक बस चालक सामान भरकर धार से इंदौर की ओर आ रहा है। टीम सुबह 9.30 बजे चंदन नगर चौराहे पर पहुंची। बस के अंदर और बाहर ढेर सारा सामान भरा था और कोई सवारी नहीं थी। बस उल्टे हाथ की तरफ झुकी हुई थी। यदि बस पलटी खा जाती तो आसपास चल रहे वाहन चालक भी गिर सकते थे, इसलिए सूचना मिलते ही बस को तुरंत रोककर कार्रवाई की। बस मालिक रोहित पिता संतोष मेवाड़ा निवासी नीमच हैं और ड्राइवर पारितोष सिंह पुत्र ओमपाल सिंह निवासी धार है। चालानी कार्रवाई के बाद ड्राइवर ने दूसरी बस में सामान रखवाया।

अवैध नंबर प्लेट और हूटर लगाने वालों पर कार्रवाई

इंदौर: परिवहन विभाग द्वारा तेजाजी नगर चौराहे पर शुक्रवार को 100 वाहनों की जांच की गई। जांच अभियान के दौरान हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट (एचएसआरपी) संबंधी नियमों का उल्लंघन करने वाले, शीशों पर प्रतिबंधित काली फिल्म लगाने वाले तथा नंबर प्लेट पर धार्मिक प्रतीक, अनधिकृत नाम एवं अन्य अवैध प्लेटों का उपयोग करने वाले वाहनों की जांच की गई। जांच में नियमों का उल्लंघन करने वाले 33 वाहनों के विरुद्ध चालानी कार्रवाई कर 18 हजार रुपये का राजस्व वसूल किया गया। अधिकारियों द्वारा वाहन चालकों को समझाइश दी गई।



परिवहन विभाग की टीम ने वाहनों की जांच की● नईदुनिया

डीएवीवी में शिक्षकों की कमी होगी पूरी अग्निवीरों के बच्चों की फीस नहीं लगेगी

बैठक ● हिंदू स्टडीज सेंटर, नशामुक्ति प्रकोष्ठ को मंजूरी, एमए कोर्स वर्ष 2027 से

नईदुनिया प्रतिनिधि, इंदौर: देवी अहिल्या विश्वविद्यालय (डीएवीवी) की कार्यपरिषद में शुक्रवार को कालेज में शिक्षकों की कमी का मुद्दा उठाया गया। सदस्यों ने कालेजों में शिक्षकों की कमी को पूरा करने पर जोर दिया। बैठक में कुछ कालेजों से कोड-28 के प्रस्तावों को मंजूरी देनी थी, जिसमें संस्थानों ने शिक्षकों की कमी जल्द पूरी करने को लेकर शपथ पत्र दिया। मामले पर सदस्य एडवोकेट निमेष पाठक ने कहा कि कई वर्षों से कालेजों में शिक्षकों की कमी है, लेकिन शपथ पत्र के आधार पर हर साल संस्थान को संबद्धता जारी होती है। इन अनियमितताओं को रोकने को लेकर विश्वविद्यालयों को कालेजों का निरीक्षण करना चाहिए। शिक्षक कम मिलने पर कालेजों की सीटें घटाई जा सकती हैं। इसे लेकर कुलगुरु डा. राकेश सिंघई ने आश्वासन देते हुए जल्द ही कालेजों का निरीक्षण करने की बात कही।

कार्यपरिषद की बैठक में नए शैक्षणिक अवसरों को ध्यान में रखते हुए जुलाई 2027 से एमए हिंदू स्टडीज पाठ्यक्रम शुरू करने की योजना बनाई है। इसके लिए डिपार्टमेंट आफ हिंदू स्टडीज स्थापित किया जाएगा। पाठ्यक्रम को लेकर अगले कुछ दिनों में सिलेबस और सीट संख्या निर्धारित की जाएगी। इसके अलावा योग अध्ययनशाला में डिप्लोमा और सर्टिफिकेट कोर्स शुरू होंगे। साथ ही एमबीए फार्मास्युटिकल कोर्स में अगले सत्र से विद्यार्थियों को प्रवेश देंगे। बैठक में नशामुक्ति अभियान को प्रभावी बनाने के लिए नशामुक्ति क्रियान्वयन प्रकोष्ठ की स्थापना को मंजूरी दी गई। करीब 10 क्लब बनाए जाएंगे, जो विद्यार्थियों के बीच नशे के दुष्प्रभावों के प्रति जागरूकता फैलाएंगे। वहीं, विभिन्न अध्ययनशालाओं में पढ़ने वाले विद्यार्थियों का स्वास्थ्य बीमा किया जाएगा, जिसमें 50 हजार से लेकर एक लाख रुपये का मेडिक्लेम रखा जाएगा। इसके लिए विश्वविद्यालय और बैंक प्रबंधन के बीच विस्तार से प्रस्ताव बनाया जाएगा। शुक्रवार की बैठक में नवनियुक्त कार्यपरिषद सदस्य निमेष पाठक, डा. आदित्य माहेश्वरी, मदन सिंह वासुनिया, रुचि कपिल मिश्रा, सरिता पटेल और प्रो. रजनीश जैन का स्वागत किया गया।

कार्यपरिषद ने निर्णय लिया कि अग्निवीरों के पुत्र-पुत्रियों को विश्वविद्यालय में प्रवेश मिलने पर शिक्षण शुल्क माफ किया जाएगा।


देवी अहिल्या विश्वविद्यालय की कार्यपरिषद की बैठक में उपस्थित कुलगुरु और सदस्य ● नईदुनिया

उत्कृष्ट कार्य करने वालों का होगा सम्मान

विश्वविद्यालय के स्थापना दिवस पर उत्कृष्ट शोध, शिक्षण, कार्य और व्यवहार के आधार पर शिक्षकों, अधिकारियों एवं कर्मचारियों को पुरस्कृत किया जाएगा। बैठक में परीक्षा संचालन और कार्यालयीन कार्यों के लिए स्टेशनरी खरीदने तथा ईएमआरसी के लिए आधुनिक आडियो-विजुअल उपकरण को स्वीकृति दी गई। शारीरिक शिक्षा विभाग में टेनिस कोर्ट निर्माण के लिए 20 लाख रुपये स्वीकृत किए गए।

350 करोड़ खर्च होंगे, नवंबर में शिफ्ट होंगी पानी की पाइपलाइन

एलआइजी चौराहे से इंडस्ट्री हाउस तक एलिवेटेड कारिडोर के पिलर बनाने के काम ने पकड़ी रफ्तार

- निर्माण पूरा होने पर सड़क पर यातायात का दबाव होगा कम
- वाटर लाइन और बीएसएनएल की लाइनें शिफ्ट होनी बाकी

नईदुनिया प्रतिनिधि, इंदौर : एबी रोड पर यातायात का दबाव कम करने के लिए बनाए जा रहे एलिवेटेड कारिडोर के निर्माण ने महीनों बाद रफ्तार पकड़ ली है। मिट्टी की जांच पूरी होने के बाद अब एलआइजी से इंडस्ट्री हाउस और पलासिया से गीताभवन के बीच नींव (फाउंडेशन) बनाने का काम चल रहा है। कुछ स्थानों पर पिलर खड़े करने के लिए लोहे के सरियों का ढांचा भी तैयार किया गया है। हालांकि, निर्माण क्षेत्र में अब तक पानी की पाइपलाइन और बीएसएनएल की लाइनें शिफ्ट नहीं की गई हैं। इन्हें दूसरी जगह स्थानांतरित करने की प्रक्रिया नवंबर में शुरू होने की संभावना है।

एलआइजी चौराहे से नवलखा तक बनने वाले इस एलिवेटेड कारिडोर की लंबाई करीब 6.5 से 7.4 किलोमीटर बताई जा रही है। परियोजना पर लगभग 350 करोड़ रुपये खर्च होंगे। इसका निर्माण लोक निर्माण विभाग (पीडब्ल्यूडी) की ब्रिज सेल की देखरेख में किया जा रहा है। कारिडोर बनने से एबी रोड पर यातायात का दबाव कम होने की उम्मीद है।

फिलहाल फाउंडेशन बनाने का काम चल रहा है। निर्माण क्षेत्र में नर्मदा की पाइपलाइन, ड्रेनेज लाइन और अन्य उपयोगिता सेवाएं मौजूद हैं। ऐसे में पिलर बनाने से पहले संबंधित लाइनों को सुरक्षित तरीके से दूसरी जगह स्थानांतरित करना जरूरी है। नगर निगम और बीएसएनएल को भी अपनी लाइनें शिफ्ट करनी हैं। इन कार्यों में देरी होने पर कारिडोर के निर्माण की गति प्रभावित हो सकती है।

गीताभवन से जीपीओ चौराहे के बीच जमीन पथरीली होने के कारण पिलर की नींव तैयार करने में अधिक मेहनत करनी पड़ सकती है। यहां खुदाई के लिए विशेष तकनीक की जरूरत पड़ सकती है। ब्रिज सेल के प्रभारी जय कुमार मीणा ने बताया कि कारिडोर के फाउंडेशन बनाने का काम चल रहा है। कुछ स्थानों पर पिलर के लिए लोहे का ढांचा तैयार किया जा रहा है। निर्माण स्थल से कुछ लाइनों को भी शिफ्ट किया जाना है। इसके लिए संबंधित विभागों को पत्र लिखा गया है।


एलआइजी से पलासिया के मध्य पिलर तैयार करते श्रमिक ● राजू पवार


यातायात व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए बेरिकेड लगाए जा रहे हैं ● नईदुनिया

बच्ची की मौत के मामले में डाक्टर और असिस्टेंट गिरफ्तार, जेल

नईदुनिया फालोअप

नईदुनिया प्रतिनिधि, इंदौर: बगैर अनुमति के सील अस्पताल को खोलकर बच्ची का उपचार करने वाले डाक्टर और उसके असिस्टेंट को जूनी इंदौर पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। आरोपितों के गलत उपचार से एक 10 वर्षीय बच्ची की मौत हुई थी। पुलिस ने बुधवार रात दोनों के खिलाफ एफआइआर दर्ज की थी।

टीआइ अनिल गुप्ता के अनुसार 30 अगस्त को गणेश नगर निवासी 10 वर्षीय दिव्यांशी को हर्ष क्लीनिक(खातीवाला टैंक) में भर्ती किया गया था। आरोपितों ने एलोपैथिक दवाओं का भारी डोज दिया और दिव्यांशी की तबियत बिगड़ गई। गंभीर अवस्था में दिव्यांशी को एमवाय अस्पताल में भर्ती किया, लेकिन उसने दम तोड़ दिया। आरोपित ज्ञान एस. पंजवानी और उसके असिस्टेंट श्रीचंद के खिलाफ गैर इरादतन हत्या और उपचार में लापरवाही का केस दर्ज किया गया था। शुक्रवार को पुलिस ने दोनों को गिरफ्तार कर लिया, कोर्ट ने उन्हें जेल भेज दिया। मेडिकल विशेषज्ञों द्वारा जांच रिपोर्ट पेश की गई थी। आरोपित पंजवानी के पास एमबीबीएस की डिग्री है। श्रीचंद होम्योपैथिक है और मरीजों को भर्ती कर उपचार कर रहा था।

इंस्टाग्राम की निजता पर अंतिम बहस नवंबर में

नईदुनिया प्रतिनिधि, इंदौर: इंस्टाग्राम से एंड-टू-एंड एन्क्रिप्टेड मैसेजिंग हटाने से निजता खत्म होने की आशंका वाली जनहित याचिका पर शुक्रवार को सुनवाई हुई।केंद्र की ओर से अतिरिक्त सालिसिटर जनरल ने कहा जवाब पहले ही पेश कर चुके हैं। कोर्ट ने याचिकाकर्ता से रिजाइंडर पूछा, तो उन्होंने इन्कार कर दिया। इसके बाद कोर्ट ने याचिका को अंतिम बहस के लिए तय किया। अब 16 नवंबर वाले सप्ताह में अंतिम बहस होगी। इंस्टाग्राम ने आठ मई से एंड-टू-एंड एन्क्रिप्टेड मैसेजिंग सेवा बंद कर दी थी। इसके खिलाफ अभिभाषक पार्थ शर्मा ने हाई कोर्ट में याचिका लगाई। आरोप है इससे जनता के डाटा और निजता का उल्लंघन होगा।

बच्चों को इंटरनेट के खतरों से बचाने के मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट ने मांगा जवाब

नई दिल्ली, प्रेट्र: सुप्रीम कोर्ट ने इंटरनेट मीडिया से जुड़े कथित खतरों से बच्चों की सुरक्षा के लिए व्यापक राष्ट्रीय रूपरेखा बनाने का अनुरोध करने वाली जनहित याचिका पर शुक्रवार को केंद्र सरकार और राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग (एनसीपीसीआर) से जवाब मांगा।

प्रधान न्यायाधीश सूर्यकांत और जस्टिस जोयमाल्या बागची की पीठ ने इंदौर के एमराल्ड हाइट्स इंटरनेशनल स्कूल और उसके अकादमिक निदेशक सिद्धार्थ सिंह गिरनार की याचिका पर विचार करते हुए महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, विधि एवं न्याय मंत्रालय तथा एनसीपीसीआर को नोटिस जारी किए।

- एमराल्ड हाइट्स इंटरनेशनल स्कूल ने दाखिल की याचिका
- यौन शोषण, हानिकारक सामग्री से बचाने का किया अनुरोध

पीठ ने इस याचिका को पहले से लंबित एक याचिका के साथ संबद्ध कर दिया और सुनवाई के लिए सात दिसंबर की तारीख तय की।

याचिका में अदालत से अनुरोध किया गया है कि बच्चों को इंटरनेट मीडिया से जुड़े खतरों से सुरक्षा प्रदान करने में प्रतिवादियों की विफलता को मनमानी, अनुचित और संविधान का उल्लंघन घोषित किया जाए। बचाव के उपाय भी तय किए जाएं।

जैन मंदिरों में हुई चोरी के विरोध में समाज एकजुट

नईदुनिया प्रतिनिधि, इंदौर: जैन मंदिर में भगवान की मूर्तियों की चोरी की वारदातों के विरोध में जैन समाजजन शनिवार सुबह नौ बजे रीगल तिराहा पर प्रदर्शन करेंगे। इसमें समाज के विभिन्न संगठन और संस्थाएं शामिल होंगी। साथ ही दोनों दिगंबर जैन सामाजिक संसद के पदाधिकारी, मंदिर की समितियां भी भाग लेंगी। जैन मुनि सुधा सागर महाराज ने कहा कि यह नहीं सोचना चाहिए कि चोरी हमारे मंदिर में हुई है या किसी दूसरे मंदिर में। चाहे घटना छत्रपति नगर, विजय नगर, पलासिया, उदयनगर अथवा देश के किसी अन्य स्थान पर हुई हो, भगवान की मूर्ति जैन समाज की श्रद्धा का विषय है। पड़ोसी के घर में आग लगे तो उसे बुझाने के लिए आगे आना हमारा कर्तव्य है।

निवर्तमान राज्यपाल का किया स्वागत


विमानतल पर थावरचंद गहलोत का हुआ स्वागत● नईदुनिया

नईदुनिया प्रतिनिधि, इंदौर: कर्नाटक के राज्यपाल के रूप में कार्यकाल पूरा करने के पश्चात शुक्रवार को विशेष विमान से इंदौर विमानतल पहुंचे वरिष्ठ नेता थावरचंद गहलोत का कैबिनेट मंत्रीद्वय कैलाश विजयवर्गीय, तुलसी सिलावट सहित अन्य कार्यकर्ताओं ने स्वागत किया। मीडिया से चर्चा में गहलोत ने कहा कि कर्नाटक में समन्वय के साथ कार्य करने का प्रयास किया। उन्होंने अपने कार्यकाल को संतोषजनक बताया।

राजनीति देवास में भाजपा विधायक के घर पहुंचे दिग्विजय सिंह

डेली कालेज में आरएसएस के कार्यक्रमों पर जताया विरोध

नईदुनिया प्रतिनिधि, देवास : पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह शुक्रवार को देवास आए। यहां आकर वे कांग्रेस कार्यालय नहीं गए, बल्कि पहले देवास की भाजपा विधायक गायत्रीराजे पवार के निवास पहुंचे। उनके साथ पूर्व मंत्री प्रियव्रत सिंह भी थे। विधायक निवास पर सिंह व पवार के बीच लंबी बातचीत हुई, जिसके बाद शहर में अटकलों का दौर भी चला। कांग्रेस नेता भी हैरान थे तो भाजपा वाले कह रहे थे कि इसमें नया क्या है।

बताया जा रहा है कि दिग्विजय सिंह डेली कालेज इंदौर में आरएसएस के कार्यक्रमों को लेकर विरोध दर्ज करवाने पहुंचे थे। सिंह के अनुसार पहले भी डेली कालेज में आरएसएस के कार्यक्रम हुए हैं और आगामी दिनों में होना संभावित है। यह ठीक नहीं है। यह शैक्षणिक संस्था है। यहां आरएसएस अथवा सेवादल के शिविर लगना सही नहीं। राजनीति किसी संस्था के लिए अच्छी नहीं होती। सिंह के साथ मौजूद कांग्रेस नेताओं के अनुसार उन्होंने डेली कालेज के चेयरमैन विक्रमसिंह पवार को इसके लिए समझाया और यह भी कहा कि यदि वे नहीं माने तो विरोध भी करेंगे। इस संस्था से हम सभी पढ़कर निकले हैं, इस लिहाज से समझाने गए थे।

वोट और नोट चोरी के खिलाफ है यात्रा : विधायक निवास से निकलने के बाद दिग्वजय सिंह ब्लाक कांग्रेस अध्यक्ष प्रतीक शास्त्री के निवास पर पहुंचे और शोक संवेदना जताई। मीडिया से चर्चा में सिंह ने आगामी दिनों में निकलने वाली अपनी यात्रा को लेकर बात की। कहा कि मेरी यात्रा मूल रूप से वोट और नोट चोरी के खिलाफ है।

हमारी आस्था पर आघात लगा है। चढ़ोतरी में भ्रष्टाचार हुआ। वोट काटे जा रहे हैं। ईवीएम के माध्यम से वोट मेनिपुलेट हो रहे। इसलिए यह जनजागरण यात्रा निकाल रहे हैं। भ्रष्टाचार के आरोप में घिरे देवास निवासी पुलिसकर्मी फिरोज खान के मामले में कहा कि कार्रवाई होनी चाहिए।


ब्लाक कांग्रेस अध्यक्ष के निवास पर पहुंचे दिग्विजय सिंह ● नईदुनिया

Bank of India
रिश्तों की जमापूंजी
Relationship beyond banking
आंचलिक कार्यालय : स्टार हाउस, प्लॉट 9-आरसी, स्कीम नं. 134, एम.आर.-10, स्टार चौराहे के पास, इन्दौर - 452010, फोन 2445122-117-147

अचल आस्तियों के विक्रय हेतु ई-नीलामी विक्रय सूचना

ई-नीलामी विक्रय सूचना प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 8(6) के परन्तुक के साथ पठित वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्गठन तथा प्रतिभूति हित का प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के अधीन, हेतु ई-नीलामी विक्रय सूचना

आल आस्तियों के विक्रय हेतु ई-नीलामी विक्रय सूचना आम लोगों को और विशेष रुप से उधार लेने वाले/जमानतदारों को यह नोटिस दिया जाता है कि निम्न वर्णित सारणी के कॉलम 3 में उल्लिखित अचल संपत्ति जो **प्रतिभूत लेनदार (बैंक ऑफ इंडिया)** के पास गिरवी / प्रभारित है, जिसका सांकेतिक/भौतिक कब्जा प्रतिभूत लेनदार के प्राधिकृत अधिकारी द्वारा लिया गया है, को **''जहां है ,जैसा है और जो कुछ भी है''** के आधार पर निम्नलिखित तालिका के कॉलम 2 में उल्लिखित ऋणी एवं जमानतदारों से बैंक ऑफ इंड़िया (प्रतिभूत लेनदार) की निम्नलिखित तालिका के कॉलम 4 में उल्लिखित राशि की वसूली हेतु **दिनांक 12.11.2026** को बेचा जाएगा। आरक्षित मूल्य एवं जमा योग्य अग्रिम धनराशि तालिका के कॉलम 6 व 7 में क्रमशः दी गई है।

ई-नीलामी दिनांक 12.11.2026 को प्रातः 11.00 बजे से शाम 5.00 बजे तक

शाखा का नाम (1)	ऋणी / जमानतदार का नाम (2)	संपत्ती का विवरण व स्वामी का नाम (3)	मांग सूचना 13(2) के तहत मांग नोटिस दिनांक व बकाया राशि (4)	आधिपत्य की दिनांक व प्रकार (5)	आरक्षित राशि (रू.) (6)	ईएमडी (7)
शाखा एआरबी इन्दौर	**श्री आतिश सेलार पिता हनुमंत राव सेलार (उधारकर्ता),** पता : - 26/4 वार्ड नंबर 1 नर्मदा कॉलोनी, नर्मदा मार्ग, खातेगांव, जिला देवास (म.प्र.) 455336 **श्रीमती श्वेता सेलार पति आतिश सेलार (सह-उधारकर्ता),** पता : - 26/4 वार्ड नंबर 1 नर्मदा कॉलोनी, नर्मदा मार्ग, खातेगांव, जिला देवास (म.प्र.) 455336	आवासीय संपत्ति के सभी प्रमुख अंश व भू भाग भूमि एवं भवन, हाउस नं. 96, सर्वे नं. 338/3/1, पीएच नं. 37, वार्ड नं. 6, कन्नौद रोड, खातेगांव, जिला, देवास, म.प्र. में स्थित, **प्लॉट क्षेत्रफल 167.28 वर्ग मीटर, मालिक श्री आतिश सेलार पिता हनुमंत राव सेलार, चतुर्सीमा : पूर्व** में श्रीमती द्वारका बाई का मकान, **पश्चिम** में श्रीमती तारा बाई जोशी का मकान, **उत्तर** में बाबूलाल का मकान, **दक्षिण** में इंदौर-हरदा रोड	06.04.2024 ₹60,81,482.45 + ब्याज एवं अन्य खर्च	12.12.2025 भौतिक	₹ 58.88 लाख	₹ 5.89 लाख
शाखा एआरबी इन्दौर	**(1) मेसर्स रणासरा डेयरी फार्म (उधारकर्ता), (2) श्री प्रकाश चंद्र रणासरा पिता महेश कुमार रणासरा (पार्टनर), (3) श्री अनिल कुमार रणासरा पिता महेश कुमार रणासरा (पार्टनर),** पता: 1. 90-ए, पार्श्वनाथ नगर, आरटीओ रोड, सुदामा नगर, इंदौर (म.प्र.) -452009, **पता: 2.** सर्वे नंबर 423, पी.एच. कमांक 61, ग्राम-गडरोली, ए.बी. रोड मक्सी, जिला- शाजापुर (म.प्र.)-465106, **(4) श्री महेश कुमार रणासरा पिता उमराव सिंह कुलमी (जमानतदार/बंधककर्ता),** पता :1. 90-ए, पार्श्वनाथ नगर, आरटीओ रोड, सुदामा नगर, इंदौर (म.प्र.) -452009, **पता : 2.** मकान नंबर 38, गली नं.04 वार्ड नंबर 15 मक्सी, जिला:- शाजापुर (म.प्र.)-465106,	संपत्ति के समस्त भू भाग व अंश जो परिवर्तित भूमि और भवन, सर्वे नम्बर 423 (भाग) (बटांकन के बाद 423/2), ग्राम गद्रोली, मक्सी, तहसील एवं जिला शाजापुर (मध्य प्रदेश), **क्षेत्रफल 0.209 हेक्टेयर (22500 वर्ग फीट), मालिकः श्री महेश कुमार पिता उमराव सिंह कुलमी (जमानतदार), संपत्ति की चतुर्सीमा : पूर्वः** बंधककर्ता की शेष भूमि और रास्ता, **पश्चिमः** सर्वे नम्बर 423 का भाग और नाला, **उत्तरः** सर्वे नम्बर 423 का भाग और नाला, **दक्षिणः** सरकारी नाला	19.01.2026 ₹ 1,16,67,919.00 + ब्याज एवं अन्य खर्च	22.04.2026 सांकेतिक	₹ 42.94 लाख	₹ 4.30 लाख

क्रेता के द्वारा स्टाम्प शुल्क, बिक्री प्रमाण पत्र शुल्क, पंजीकरण शुल्क, टी.डी.एस. सरकार को देय सभी वैधानिक बकाया, कर और दरों और संपत्तियों से संबंधित कोई अन्य खर्च, मौजूदा और भविष्य, दोनों के लिए देय होगा। बिक्री प्रमाण पत्र केवल सफल बोलीदाता के नाम से ही जारी किया जाएगा।

ई-नीलामी सेवा प्रदाता की वेबसाईट **https://baanknet.com** बोलीकर्ता **https://baanknet.com**, नियम व शर्तो की अधिक जानकारी हेतु शैक्षणिक वीडियो के साथ देख सकते है। बोलीकर्ता को पूर्व में ही बोली पंजीयन की सभी औपचारिकताएं पूर्ण करना अनिवार्य है। नीलामी से संबंधित सभी जानकारी ई-नीलामी दिनांक से पहले ही प्राप्त कर लेने की सभी जवाबदारी बोलीकर्ता की रहेगी।
ए. सफल बोलीकर्ता को घोषणा के तुरंत बाद बिक्री मूल्य का 25% (पहले से भुगतान की गई ईएमडी घटाकर) जमा करना होगा।
बी. नीलामी- बिक्री की कार्यवाही में बैंकिंग लेनदेन का समय समाप्त होने के पश्चात, खरीद मूल्य का 25% (पहले से भुगतान की गई ईएमडी घटाकर) अगले कार्य दिवस तक जमा कराना होगा।
सी. बिक्री मूल्य की शेष राशि का भुगतान बिक्री की दिनांक से 15 वें (पंद्रहवें) दिन के भीतर जमा किया जाना होगा।
डी. उपर उल्लिखित अवधि के भीतर भुगतान न करने पर, जमा और बयाना राशि जब्त कर ली जाएगी और संपत्ति को फिर से बेच दिया जाएगा।
इ. सफल बोलीकर्ता की यह जिम्मेदारी होगी की आयकर अधिनियम की धारा **194-IA** के तहत लागू 1% की दर से टीडीएस जमा करना होगा, यदि इस तरह के प्रतिफल के लिए जमा या भुगतान की गई राशि का योग रु. 50 लाख या अधिक है। टीडीएस को फार्म **26QB** आनलाईन भरकर जमा कराना होगा और टीडीएस सर्टिफिकेट फार्म **16B** में जारी करना होगा। खरीदार को सरकारी खाते मे आयकर जमा करने का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा।
एफ. बोली केवल ऑनलाइन प्रक्रिया के तहत की जाएगी।
जी. प्राधिकृत अधिकारी का उक्त ई-नीलामी को बिना किसी कारण बताए रद्द करने का सर्वाधिकार सुरक्षित रहेगा।
एच. आरक्षित मूल्य से कम से कम एक वृद्धि राशि जोडने पर ही बोली स्वीकार होगी।

दिनांक : 16.10.2026, स्थान: इन्दौर
प्राधिकृत अधिकारी: बैंक ऑफ इंडिया